FORM No. 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. घीसालाल बनाम मुनि सुब्रतनाथ दिगम्बर जैन व अन्य दीवानी वाद संख्या – 54/2021(29/2010) सीआईएस संख्या – 516/2014	Brief note of Compliance of Order
20.09.2025	वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी दिनांक 09.09.2025 व 18.09.2025 को दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं जिनका संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत है। वाद में पटटा दिनांक 15.10.1923 की प्रमाणित प्रति व पटटा दिनांक 24.07.1924 की मूल प्रति एवं तहरीर संवत 2004 की मूल प्रति पत्रावली में पेश की है जिस पर न्यायालय की अनुमति से प्रदर्श लगाया गया है, परन्तु उक्त तीनों दस्तावेजों का अनुवाद प्रमाणित नहीं होने से प्रदर्श नहीं हो पाए। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति की गई कि उक्त तीनों दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद सक्षम अनुवादक से विधिक रूप से प्रमाणित करवाया है जिसे रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। वादी ने दिनांक 18.09.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी के तहत पेश कर यह निवेदन किया कि पूर्व में दिनांक 09.09.2025 को जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया उसमें दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु अनुवादक का प्रमाण पत्र संलग्न करने से सहवन से रह गया। अतः उसे भी रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2025 का लिखित जवाब प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि तीनों दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद अधिकृत विशेषज्ञ के द्वारा नहीं होने से आपत्ति की गई कि अनुवादककर्ता अपने आप को टंकणकर्ता द्वारा अनुवाद किए हैं जो अधिकृत विशेषज्ञ की तारीफ में नहीं आता। उक्त दस्तावेज में व्याकरणीय त्रुटि के साथ टंकण त्रुटि भी है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे तथा प्रमाण पत्र भी विलम्ब से पेश किए जाने से उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में पटटा दिनांक 15.10.1923 की प्रमाणित प्रति, पटटा दिनांक 24.07.1924 की मूल प्रति तहरीर संवत 2004 मूल प्रति को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है परन्तु उक्त तीनों दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुवाद प्रमाणित नहीं होने से प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति की गई थी जिस पर वादी की ओर से सत्यापित अनुवाद पेश करने के लिए अवसर चाहा गया व हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिए उक्त दस्तावेजों के हिन्दी अनुवाद को जो जटाशंकर अग्रवाल द्वारा करवाना जाहिर करते हुए उक्त अनुवाद मय प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः ऐसी स्थिति में चूंकि उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित है प्रतिवादीगण को उक्त दस्तावेज के संबंध में जिरह का पूर्ण अवसर प्राप्त है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है परन्तु दस्तावेज अत्यधिक विलम्ब से पेश किए गए हैं। पूर्व में जो अनुवाद पेश किया गया था उसके प्रमाणित नहीं होने का ज्ञान वादी को रहा है फिर भी उसके द्वारा पूर्व में सत्यापित हिन्दी अनुवाद मय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में विलम्ब की पूर्ति हेतु कोस्ट	

20/9/25
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

अधिरोपित किया जाना भी न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 800/–रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट अदायगी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने की पूर्व भावी शर्त रहेगी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 03.10.2025 को पेश हो।

20/9/25

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)